

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 21 (1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक 02.5.2013

-: आदेश :-

श्री भंवर सिंह-1A, वाहन चालक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर को उनकी 'जी' श्रेणी की वरियता संख्या 132 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.1.2024 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर पूर्व में आवंटित आवास संख्या 5/डी/3, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.13 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या जी-799, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने से आवंटन आदेश दिनांक 30.4.2013 को निरस्त कर दिया गया था, को उनकी पारिवारिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन आदेश दिनांक 2.4.2013 को पुनः बहाल रखा जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(मनमूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिकको भेजकर लेख है कि आवास का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करें।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।



(मनमूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव